न्यायालय जिला न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी :–सतेन्द्र कुमार , उच्चतर न्यायिक सेवा
स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–177 सन 2026
UPSP010059282026

संजीव मेहरा पुत्र मोतीलाल मेहरा निवासी हाल निवासी मकान संख्या 532/3, अनंत बिल्डिंग, रामनगर उर्फ पठानपुरा, सहारनपुर।

.....प्रार्थी/प्रतिवादी

बनाम

अजेंद्र पाल पुत्र गुलाब सिंह, निवासी ग्राम कनडाईवाला, परगना फैजाबाद, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर, हाल निवासी आवास विकास कॉलोनी, जनपद सहारनपुर।

.....विपक्षी/वादी

निस्तारण स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र

22.07.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में आवेदक एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

आवेदक की ओर से स्थानान्तरण **प्रार्थनापत्र कागज सं0–4ग** अन्तर्गत धारा 24 सी. पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का लघुवाद संख्या–16/2020 न्यायालय अतिरिक्त जिला जज, कक्ष संख्या–3, सहारनपुर में विचाराधीन है। वाद की कार्यवाही के दौरान प्रार्थी को अनेक अवसरों पर यह अनुभव हुआ कि प्रार्थी को उक्त न्यायालय से निष्पक्ष एवं संतुलित न्याय मिलने की उचित आशा नहीं रह गयी है। वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अनेक विधिसम्मत एवं पोषणीय प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये, परन्तु विद्वान न्यायालय द्वारा अधिकांश प्रार्थनापत्रों को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विधिक कार्यवाही भी विचाराधीन है, इसके बावजूद विद्वान न्यायालय द्वारा वाद को बार–बार अंतिम बहस हेतु नियत किया जा रहा है। दिनांक 12.05.2026 को वादी अजेन्दर पाल द्वारा कुछ अतिरिक्त दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये गये जबकि वादी एवं प्रतिवादी का साक्ष्य समाप्त होने के बाद वाद अंतिम बहस हेतु नियत हो चुका था। प्रतिवादी की ओर से उक्त दस्तावेजों पर आपत्ति की गयी, परन्तु विद्वान न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए उक्त दस्तावेज पत्रावली पर स्वीकार कर लिये गये। उक्त दस्तावेजों के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 22.05.2026 को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा शेष दस्तावेज प्राप्त करने हेतु समय की मांग की, परन्तु विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह कहते हुए कि दिनांक 25.05.2026 को शेष दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, पत्रावली बहस हेतु नियत कर दी। दिनांक 25.05.2026 को प्रतिवादी द्वारा आवश्यक प्रमाणित अभिलेख प्राप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु पुनः समय की याचना करते हुए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन विद्वान न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया गया तथा वादी की अंतिम बहस सुन ली और वाद को अंतिम बहस पर नियत कर दिया। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी को उक्त न्यायालय से निष्पक्ष सुनवाई एवं न्याय प्राप्त नहीं होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है तथा प्रार्थी को अपना पक्ष विधिक रूप से रखने का पर्याप्त अवसर भी नहीं दिया जा रहा है। उक्त आधार पर आवेदक की ओर से न्यायालय अपर जिला जज, कक्ष संख्या–3, सहारनपुर में विचाराधीन सहारनपुर में लम्बित लघु वाद सं0 16/2020 की पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में विपक्षी को नोटिस जारी किये गये तथा सम्बन्धित न्यायालय

के पीठासीन अधिकारी से आख्या तलब की गयी।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3, सहारनपुर के पीठासीन अधिकारी की आख्या कागज सं0–**9ग** के अनुसार लघुवाद वाद संख्या–**16/2020** अजेन्द्रपाल नाम संजीव मेहरा की पत्रावली वर्तमान में उनके न्यायालय में विचाराधीन है तथा अंतिम बहस में नियत है एवं सन् 2020 से लम्बित प्राचीनतम पत्रावली है। दिनांक 14.05.2026 को वादी का प्रार्थनापत्र उभयपक्ष को सुनकर मु0 1500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया गया तथा पत्रावली दिनांक 20.05.2026 को बहस हेतु नियत की गयी एवं नियत दिनांक तक प्रतिवादी को खण्डन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, दिनांक 20.05.2026 को प्रतिवादी की ओर से खण्डन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न्यायालय द्वारा अवसर देते हुए पत्रावली पर दिनांक 22.05.2026 नियत की गयी जिस दिन प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य सूची 117 सी द्वारा प्रपत्र प्रस्तुत किये गये, उक्त दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 16.12.2025 को जारी की गयी थी। प्रतिवादी के पास यह दस्तावेज पहले से ही थे, इसके बावजूद प्रतिवादी को एक अवसर देते हुए दिनांक 25.05.2026 नियत की गयी, परन्तु उस दिन भी प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर समय की मांग की गयी तथा उक्त प्रार्थनापत्र उभयपक्ष को सुनकर खारिज किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में वादी की बहस सुनी गयी तथा दिनांक 26.05.2026 शेष बहस हेतु नियत की गयी। प्रतिवादी द्वारा भिन्न भिन्न तिथियों पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये, जो गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये गये। प्रतिवादी की ओर से वाद के प्रत्येक स्तर पर वाद विलम्बित किये जाने का प्रयास किया गया है, उसे न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर दिया गया है। शेष कथन मिथ्या एवं निराधार हैं। उक्त पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक्शन प्लान की सूची में सम्मिलित है। उक्त लघुवाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

विपक्षी की ओर से अपनी आपत्ति कागज सं0–**11ग** प्रस्तुत कर स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनो से इन्कार किया गया है तथा प्रतिवादी का उद्देश्य लघुवाद संख्या–16/2020 अजेन्द्र पाल बनाम संजीव मेहरा को विलम्बित करने का रहा है, इस क्रम में प्रतिवादी द्वारा विभिन्न आशय के प्रार्थनापत्र जानबूझ कर प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। प्रतिवादी का आचरण पत्रावली पर स्पष्ट है, मात्र वर्ष 2026 में वाद में लगातार 45 तिथियां नियत हो चुकी है, परन्तु प्रतिवादी वाद को निस्तारित नहीं होने देना अभिकथित किया गया है।

आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से विपक्षी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3, सहारनपुर में विचाराधीन लघुवाद संख्या–16/2020 अजेन्द्र पाल बनाम संजीव मेहरा में प्रार्थी द्वारा अनेक विधिसम्मत एवं पोषणीय प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर विद्वान न्यायालय द्वारा अधिकांश प्रार्थनापत्रों को अस्वीकार करने तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विधिक कार्यवपाही विचाराधीन होने के बावजूद विद्वान न्यायालय द्वारा वाद को बार–बार अंतिम बहस हेतु नियत किये जाने, पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत होने के उपरान्त वादी की ओर से प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेज प्रतिवादी की आपत्ति के बावजूद पत्रावली पर स्वीकार किये जाने के कारण, विचारण न्यायालय से निष्पक्ष सुनवाई एवं न्याय प्राप्त नहीं होने तथा प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई आशा नहीं रहने के कारण, लघु वाद सं0–16/2020 को उक्त न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने की याचना की गयी है। जबकि सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र के उपरोक्त कथनो का खण्डन करते हुए, **लघुवाद संख्या–16/2020 की पत्रावली दिनांक 20.05.2026 से बहस हेतु नियत होने, प्रतिवादी द्वारा भिन्न भिन्न तिथियों पर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने एवं प्रतिवादी की ओर से वाद के प्रत्येक स्तर पर वाद विलम्बित किये जाने का प्रयास किया जाना अभिलिखित किया गया है।** इस प्रकार सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की आख्या के अनुसार लघुवाद संख्या–16/2020 की पत्रावली बहस हेतु नियत है तथा

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पत्रावली में कार्यवाही लम्बित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक्शन प्लान की सूची में सम्मिलित है। आवेदक द्वारा अपने स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित कराये जाने हेतु कोई विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके अभाव में आवेदक के उक्त कथन में कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक संजीव मेहरा की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(सतेन्द्र कुमार)

दिनांकः 22.07.2026 **जिला न्यायाधीश,सहारनपुर।**

J.O. CODE- UP 1891